भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4526
जिसका उत्तर बुधवार, 12 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है

"नव सृजित राज्यों में भारी उद्योगों की स्थापना किया जाना"

4526. श्री महेन्द्र सिंह माहरा:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नव सृजित राज्यों से पलायन रोकने के लिए इन राज्यों में भारी उद्योग स्थापित करने पर पहल की है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2013-14 से वर्तमान वित्तीय वर्ष में देश में कहां-कहां भारी उद्योग लगे और स्वीकृत किये गये, तत्संबंधी राज्य-वार सूची क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन राज्यों से हो रहे पलायन रोकने के लिए भारी उद्योग स्थापित करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (घ): चूंकि, उद्योग राज्य का विषय है, अतः भारी उद्योग विभाग द्वारा देश के किसी भी भाग में भारी उद्योगों की स्थापना के संबंध में केन्द्रीय रूप से ब्यौरा नहीं रखा जाता। भारी उद्योग विभाग की भूमिका इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सीमित संख्या में उद्यमों के प्रशासन तक सीमित है। तथापि, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के ये उद्यम वाणिज्यिक आधार पर देश के विभिन्न भागों में अपनी इकाई स्थापित करने का निर्णय लेते हैं। इसके अलावा, केन्द्र सरकार पूरे देश में उद्योगों की वृद्धि के लिए वित्त मंत्रालय के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर ढांचे में प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराती है। तथापि, बहुत से राज्यों ने उद्योगों के विकास एवं वृद्धि के लिए प्रोत्साहन एवं स्कीमें तैयार की हैं और ये राज्य अपनी प्राथमिकताओं तथा निवेश वातावरण के अनुसार उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देते हैं और इस प्रकार, का ब्यौरा केवल उनके पास ही उपलब्ध होने की आशा है। वर्तमान में, भारी उद्योग विभाग द्वारा कोई नया उद्योग स्थापित किए जाने की योजना नहीं है।

******